International Research Journal of Commerce and Law
Volume 11 Issue 04, April 2023 ISSN: 2349-705X Impact Factor: 6.893
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

विषय-भारत में महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर घरेलू हिंसा का प्रभाव : एक अध्ययन

रेशमा, शोधार्थी
बिशम्बर सहाय पीजी संस्थान रूड़की
शोध निर्देशक: डॉ. अमित चौधरी, सहायक प्रोफेसर
बिशम्बर सहाय पीजी संस्थान रूड़की

सारांश

घरेलू हिंसा एक विश्वव्यापी समस्या है जो राष्ट्रीय सीमाओं के साथ-साथ सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक, नस्लीय और वर्ग, विभाजन को पार करती है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो सभी विभिन्न जातियों और जातियों के लोगों को प्रभावित करता है। यह मुद्दा न केवल भूगोल के संदर्भ में व्यापक है, बल्कि यह अक्सर भी होता है, जो इसे रोजमर्रा की घटना में बदल देता है और इसे स्वीकार्य आचरण के रूप में सामान्य करता है। घरेलू हिंसा व्यापक और गहराई से निहित है, और इसका महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसे किसी भी रूप में जारी रखने की अनुमति देना अनैतिक है। यह लोगों, स्वास्थ्य संस्थानों और पूरे समाज के लिए एक बड़ी कीमत पर आता है। लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए किसी अन्य गंभीर खतरे को कई लोगों द्वारा अनदेखा नहीं किया गया है या इस तरह खराब समझा गया है। कई अलग-अलग परिणाम हैं जो घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप हो सकते हैं, और ये परिणाम पीड़ित, उनके आयु वर्ग, दुर्व्यवहार की गंभीरता और जिस आवृत्ति के साथ उन्हें पीड़ित किया जाता है, उसके आधार पर बदलते हैं। हिंसा के जघन्य कृत्यों के अधीन होने के परिणामस्वरूप, पीड़ित अक्सर विभिन्न प्रकार की भावनाओं को प्राप्त करते हैं, जिनमें से कुछ में चिंता की लगातार स्थिति, यह धारणा कि वे खतरे में हैं, और शर्म की बात है। घरेलू हिंसा के प्रभाव, जब इसके घटक भागों में विभाजित होते हैं, तो मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: पीड़ित और उसके परिवार पर प्रभाव, समाज पर प्रभाव और देश के विकास और उत्पादन पर प्रभाव। "पीड़ित पर प्रभाव" खंड को महिलाओं, पुरुषों, छोटे बच्चों और वृद्ध लोगों के लिए वर्गों में विभाजित किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में महिलाओं पर घर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रभाव की जांच करना है।

शारीरिक हिंसा

International Research Journal of Commerce and Law
Volume 11 Issue 04, April 2023 ISSN: 2349-705X Impact Factor: 6.893
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

घरेलू हिंसा की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति वह है जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक नुकसान होता है। थप्पड़ मारना, धक्का देना, लात मारना, काटना, वार करना, चीजों को उछालना, गला घोंटना, पीटना, किसी भी तरह के हथियार से धमकी देना, या बंदूक का उपयोग करना सभी शारीरिक कृत्यों के उदाहरण हैं जो घरेलू या अंतरंग साथी हिंसा की श्रेणी में आते हैं। घर में शारीरिक शोषण के परिणामस्वरूप बड़ी चोट का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या में काफी भिन्नता है, हालांकि यह आमतौर पर 19 से 55 प्रतिशत के बीच होती है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप शारीरिक चोटें मनोवैज्ञानिक लोगों की तुलना में अधिक स्पष्ट हैं और कानूनी अभियोजन के संदर्भ में स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ-साथ कानून की अदालतों द्वारा अधिक आसानी से समझी जा सकती हैं। स्वास्थ्य पेशेवर पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप शारीरिक चोटों को अधिक आसानी से समझ सकते हैं।

भावनात्मक शोषण

हाल के वर्षों में, भावनात्मक दुर्व्यवहार घरेलू हिंसा (और परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन) के एक प्रचलित रूप के रूप में अधिक से अधिक मान्यता प्राप्त कर रहा है जो भारत जैसे विकासशील देशों के निजी घर के भीतर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भावनात्मक दुर्व्यवहार घरेलू हिंसा का एक रूप है जो किसी भी रिश्ते में हो सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रकार का दुरुपयोग एक महिला के आत्म-मूल्य की भावना को नुकसान पहुंचा सकता है और किसी व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक कल्याण के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। उत्पीड़न, धमकियां, मौखिक दुर्व्यवहार (नाम पुकारना, अपमानजनक और दोष देना सहित), पीछा करना और अलगाव सभी उदाहरण हैं जो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आ सकते हैं।

घरेलू दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं को समग्र रूप से अधिक मानसिक संकट का सामना करने का बहुत अधिक जोखिम होता है, साथ ही आत्मघाती विचारधारा और आत्महत्या के प्रयास की खतरनाक रूप से उच्च घटनाएं होती हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द्वारा किए गए शोध के अनुसार, भारत में आत्महत्या के प्रयास शारीरिक और मनोवैज्ञानिक शोषण दोनों से जुड़े हैं जो अंतरंग भागीदारों द्वारा किए जाते हैं। सर्वेक्षण में भाग

International Research Journal of Commerce and Law
Volume 11 Issue 04, April 2023 ISSN: 2349-705X Impact Factor: 6.893
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

लेने वाली 7.5% भारतीय महिलाओं ने स्वीकार किया कि उन्होंने कम से कम एक बार अपनी जान लेने का प्रयास किया। इस संबंध की पुष्टि भारत में घरेलू हिंसा की उच्च घटनाओं से होती है; हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये दरें भूगोल, व्यक्तिगत सामाजिक आर्थिक स्तर और अन्य चर के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होती हैं।

दहेज से संबंधित दुर्व्यवहार और मौतें

दहेज देने और प्राप्त करने की परंपरा लगभग सभी हिंदू घरों में विवाद का स्रोत बन गई है। जब यह माना जाता है कि एक नवविवाहित पत्नी शादी में अपने साथ दहेज की पर्याप्त राशि नहीं लाई, तो उसे उत्पीड़न, शारीरिक हमले या यहां तक कि मौत के रूप में घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ सकता है। कुछ उदाहरणों में, पीड़ित खुद को फांसी लगाकर, खुद को जहर देकर या खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर लेता है। जब दहेज हत्या होती है, तो दूल्हे के परिवार का एक सदस्य या तो खुद को आत्महत्या कर लेता है या खुद की हत्या कर देता है। भारतीय राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2012 में भारत में दहेज से संबंधित 8,233 मौतें दर्ज की गईं। यह दहेज से संबंधित कठिनाइयों के कारण भारत में प्रति 100,000 महिलाओं के लिए प्रति वर्ष 1.4 मौतों के बराबर है। तुलना के बिंदु के रूप में, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2012 में विश्व स्तर पर महिला हत्या की औसत दर प्रत्येक 100,000 महिलाओं के लिए 3.6 थी, जबकि उत्तरी यूरोप में महिला हत्या की औसत दर प्रत्येक 100,000 महिलाओं के लिए 1.6 थी।

दहेज प्रथाओं के कारण होने वाली मौतें भारत में आम हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य सहित कई अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच हो सकती हैं। जैसा कि पारंपरिक हिंदू विवाह में दहेज दान करना एक आवश्यक संस्कार के रूप में देखा जाता है, हिंदू समुदाय दहेज से जुड़े सभी अपराधों के लगभग 80% के लिए जिम्मेदार है। अन्य भारतीय धर्म दूसरे स्थान पर आते हैं। इसके अलावा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, तिलक की रस्म, जिसे सगाई के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग दूल्हे के परिवार द्वारा अत्यधिक राशि की मांग करने के लिए किया जाता है। यह ज्यादातर हिंदू घरों में किया जाता है। दहेज को एक उपहार के रूप में वर्णित किया गया है जो या तो आवश्यक है या शादी के लिए एक शर्त के रूप में दिया जाता है, और 1961

के दहेज निषेध अधिनियम ने "विवाह के लिए विचार के रूप में" दहेज मांगना, भुगतान करना या प्राप्त करना अवैध बना दिया। इस अधिनियम ने दहेज स्वीकार करना भी अवैध बना दिया। बिना किसी शर्त के दान को दहेज नहीं माना जाता है और इसे कानूनी रूप से स्वीकार किया जा सकता है। दहेज मांगने या देने की प्रथा के परिणामस्वरूप जुर्माना या छह महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। विभिन्न भारतीय राज्यों द्वारा स्थापित दहेज विरोधी कानूनों के कई टुकड़े इस कानून द्वारा अप्रचलित हो गए थे। भारत के आपराधिक दंड कानून में जबरदस्ती के कारण हत्या और आत्महत्या जैसे अपराधों के लिए प्रावधान हैं। भारतीय दंड संहिता में धारा 498 ए को जोड़ने के साथ, कानून को और अधिक सख्त (1983 में अधिनियमित) करने के लिए संशोधित किया गया था। एक महिला घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए) के अनुसार दहेज उत्पीड़न के खिलाफ सहायता मांग सकती है, जो उसे ऐसा करने के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिकारी से परामर्श करने की अनुमति देता है।

पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना

विवाह, दुर्व्यवहार के माध्यम से सक्रिय भेदभाव (चाहे वैवाहिक हो या विवाहेतर), और स्वतंत्रता के लिए दमघोंटू अवसर के माध्यम से सीमित आर्थिक अवसर के माध्यम से महिलाओं की एजेंसी को कम करना भारत की पितृसत्तात्मक घरेलू संरचना के तीन प्राथमिक पहलू हैं जो महिलाओं की एजेंसी को प्रभावित करते हैं। मजबूत पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचनाओं और महिलाओं के लिए सीमित क्षमताओं और एजेंसी के बीच एक स्पष्ट संबंध है, जिनमें से दोनों घरेलू हिंसा में योगदान करने वाले कारकों के साथ दृढ़ता से सहसंबद्ध हैं, जैसे कि पोषण संबंधी अभाव में लिंग असमानता और प्रजनन निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका की कमी। यह संबंध इन सभी आयामों में मौजूद है।

दहेज प्रथा

भारत में घरेलू हिंसा के मामलों में दहेज की मांग करना एक आम कारक है। भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था कई अलग-अलग तरीकों से प्रकट होती है, जिसमें दहेज का भुगतान करने की प्रथा भी शामिल है। दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के बीच एक मजबूत संबंध है। दहेज

एक सांस्कृतिक परंपरा है जो कई भारतीय समुदायों में गहराई से अंतर्निहित है। दहेज उस धन, सामान या संपत्ति को संदर्भित करता है जो एक महिला या एक महिला का परिवार शादी में लाता है ताकि पति अब इसका मालिक हो सके। यह प्रथा अभी भी भारत में की जाती है, भले ही यह 1961 से कानून के खिलाफ है, और हाल के वर्षों में दहेज की रकम में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2005 में किए गए और विश्व विकास में प्रकाशित एक अध्ययन में, एक सर्वेक्षण के परिणामों ने संकेत दिया कि दहेज की मात्रा और अंतर-वैवाहिक हिंसा के बीच एक नकारात्मक संबंध था। यह उन संभावित खतरों का संकेत देता है जो तब उत्पन्न हो सकते हैं जब एक पत्नी दहेज भुगतान या अपेक्षाओं पर कम पड़ जाती है। इन खतरों में न केवल शारीरिक और भावनात्मक शोषण के सामान्य रूप शामिल हैं जैसे कि मारना और चल रही गिरावट, बल्कि, कुछ मामलों में, दहेज भुगतान के साथ पति के असंतोष के परिणामस्वरूप दहेज हत्या और दुल्हन को जलाना। ऐसा इसलिए है क्योंकि दहेज हत्या और दुल्हन को जलाने का परिणाम दहेज भुगतान से पति के असंतोष के परिणामस्वरूप होता है। वास्तव में, 2010 में दहेज से संबंधित 8391 मौतें दर्ज की गईं, जो 1997 में दर्ज 6995 ऐसी मौतों से तेज वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं।

यौन हिंसा से जुड़ा नया कानून

भारतीय संसद ने 19 मार्च, 2013 को भारत में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नया कानून पारित किया। इस सुरक्षा को अधिक व्यापक बनाने का इरादा था। यह 2013 के आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम का रूप लेता है, जो कानून का एक टुकड़ा है जो भारतीय दंड संहिता, 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम और 2012 के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम को संशोधित करता है। इन सभी कानूनों को 2012 के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। दुनिया के इतिहास में पहली बार, कानून ने किसी महिला का पीछा करना, घूरना, एसिड से हमला करना या किसी महिला को जबरन निर्वस्त्र करना स्पष्ट रूप से अवैध बना दिया है। नए कानून के तहत पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए सामूहिक बलात्कार और बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा दस से बढ़ाकर बीस साल कर दी

International Research Journal of Commerce and Law
Volume 11 Issue 04, April 2023 ISSN: 2349-705X Impact Factor: 6.893
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

गई है, जो पीड़ित की मौत के साथ समाप्त होने वाले बलात्कारों के लिए मौत की सजा भी प्रदान करता है। नया कानून पुरुषों के खिलाफ बलात्कार, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किए गए बलात्कार या विवाह के अंदर होने वाले बलात्कार को संबोधित नहीं करता है। ये केवल तीन प्रकार के बलात्कार हैं जिन्हें कवर नहीं किया गया है। रूढ़िवादी सांसदों और अधिकार विरोधी महिला संगठनों के समर्थकों का तर्क है कि सहमति की उम्र बढ़ाने से वैधानिक बलात्कार के मामलों में दुर्व्यवहार और गलत गिरफ्तारी हो सकती है, बावजूद इसके कि यौन हमलों की उच्च संख्या या तो रिपोर्ट नहीं की जाती है या रिपोर्ट की जाती है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि यौन हमलों की संख्या जो या तो रिपोर्ट नहीं की जाती है या रिपोर्ट की जाती है, उच्च है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि यौन हमलों की घटनाएं ऐसे कानूनों के अस्तित्व के लिए औचित्य प्रदान करती हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2012 में किए गए और जारी किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 47 प्रतिशत भारतीय महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है। (पुरुषों के लिए कानूनी विवाह की आयु 21 है, जबकि महिलाओं के लिए कानूनी विवाह की आयु 18 है)।

कानून के तहत लैंगिक भेदभाव

नारीवादियों का तर्क है कि घरेलू हिंसा के बारे में कानून सेक्सिस्ट हैं और पुरुषों के प्रति पूर्वाग्रह पूर्ण हैं। विशेष रूप से, नारीवादियों ने आपराधिक संहिता की धारा 498 ए का उपयोग किया है, जो अपराधियों के खिलाफ अब मौजूद किसी भी कानूनी परिणाम को दूर करने को सही ठहराने के लिए अपने तर्कों में पति या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के लिए अपनी पत्नी के प्रति क्रूर होना अपराध बनाता है। भारत में पुरुषों के अधिकारों के लिए कार्यकर्ता, जैसे कि "सेव द फैमिली फाउंडेशन" से जुड़े लोगों का तर्क है कि महिलाएं अक्सर अपने कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं। भारत सरकार ने 2012 में धारा 498 ए पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि एक अनुभवजन्य विश्लेषण ने अन्य आपराधिक विधियों की तुलना में धारा 498 ए के किसी भी असंगत उपयोग को साबित नहीं किया। रिपोर्ट में यह बात कही गई है। भले ही यह नहीं दिखाया गया था कि धारा 498 ए का दुरुपयोग किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि धारा 498 ए के

International Research Journal of Commerce and Law
Volume 11 Issue 04, April 2023 ISSN: 2349-705X Impact Factor: 6.893
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

तहत पुलिस द्वारा प्राप्त हर शिकायत को परिवार कल्याण समिति को भेजा जाना चाहिए, इससे पहले कि पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर सके। यह मामला तब भी है जब यह नहीं दिखाया गया था कि धारा 498 ए का दुरुपयोग किया गया था। इससे भी अधिक स्पष्ट यह है कि कानून विशेष रूप से महिला निवारण प्रदान करता है। भारत में, पुरुषों के पास एक कानूनी उपचार तक पहुंच नहीं है जो महिलाओं के समान है जब वे पुरुषों या महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। कानून जैसा कि यह अब घरेलू हिंसा के पुरुष पीड़ितों को राहत का सबसे बुनियादी रूप प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है - एक निरोधक या संरक्षण आदेश - जिसके लिए पुरुष या महिला दुर्व्यवहारकरने वाले को उनसे दूर रहने की आवश्यकता होगी। हालांकि, 2016 में, विचाराधीन पूर्वाग्रह को सुप्रीम कोर्ट ने अपने दम पर समाप्त कर दिया था। चूंकि "घरेलू दुर्व्यवहार के अपराधी और उकसाने वाले" महिलाएं भी हो सकती हैं, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और रोहिंटन एफ नरीमन की पीठ ने गुरुवार, 6 अक्टूबर, 2016 को कहा कि यह खंड अधिनियम के लक्ष्य को विफल करता है। यह फैसला गुरुवार को सुनाया गया। हाल के संशोधनों के कारण घरेलू हिंसा कानून से "वयस्क पुरुष" वाक्यांश को हटा दिया गया है। हालांकि, इस नई परिभाषा में पीड़ितों के रूप में पुरुषों को शामिल नहीं किया गया था, और अंततः इसे पहले संस्करण को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधित किया गया था।

समाप्ति

इस तथ्य के बावजूद कि भारत के संविधान और विधायिका ने देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से महिलाओं के लिए कानून और सुरक्षा प्रदान की है, महिलाएं अपने पति के परिवारों के हाथों घरेलू दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं। कई सबूत बताते हैं कि भारत में वैवाहिक परिवारों में महिलाओं को शारीरिक नुकसान का खतरा बना हुआ है। कोविड 19 के प्रकोप के दौरान हुई घरेलू हिंसा से महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य विभिन्न तरीकों से प्रभावित होता है। सरकार ने घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, राष्ट्रीय समाचार चैनल, रेडियो चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित कई पहल शुरू की हैं। पायलट शोध निष्कर्षों के अनुसार, भारत में महिलाओं को घर में हिंसा का शिकार होने की समस्या एक बड़ी समस्या है। प्रतिभागियों को घरेलू दुर्व्यवहार की धारणा के साथ कुछ परिचित है, लेकिन वे विषय से संबंधित कानून से अनजान हैं। महिलाओं का स्वास्थ्य, जो हिंसा से

नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, सरकार, स्कूलों, माता-पिता और पूरे समाज की जिम्मेदारी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने जागरूकता बढ़ाने, पीड़ितों के लिए चिकित्सा परामर्श प्रदान करने आदि के लिए कोई पहल नहीं की। अब समय आ गया है कि हम स्वीकार करें कि महिलाएं अक्सर हिंसा के गंभीर रूपों का निशाना बनती हैं।

संदर्भ

1. *एल्सबर्ग, मैरी (2008)।"महिलाओं के स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा पर डब्ल्यूएचओ बहु-देशीय अध्ययन में अंतरंग साथी हिंसा और महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य: एक अवलोकन अध्ययन"। द लांसेट।* ***371*** *(9619): 1165-1172।*
2. ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड 2013, ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, पृष्ठ 12, आईएसबीएन 978-92-1-054205-0।
3. *रोसेंथल, एलिजाबेथ (6 अक्टूबर 2006)।* "घरेलू हिंसा दुनिया भर में महिलाओं को पीड़ित करती है, अध्ययन कहता है - एसएएफगेट". *सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल।*
4. ओल्डेनबर्ग, वी टी (2002)। दहेज हत्या: एक सांस्कृतिक अपराध की शाही उत्पत्ति। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. *एकर्सन, लेलैंड; सुब्रमण्यम, एस (2008)।* "भारत में महिलाओं और बच्चों के बीच घरेलू हिंसा और क्रोनिक कुपोषण"। *अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी।* ***167*** *(10): 1188-1196।*
6. *महापात्रो, मीरांबिका; गुप्ता, आर एन; गुप्ता, विनय के (26 अगस्त 2014)। "भारत में घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं में मदद मांगने वाले व्यवहार का नियंत्रण और समर्थन मॉडल"। हिंसा और पीड़ित।* ***29*** *(3): 464–75।दोई:* 10.1891/0886-6708.VV-D-12-00045.
7. *निगम, शालू (9 जुलाई 2021)।* भारत में घरेलू हिंसा कानून मिथक और स्त्री द्वेष। *रूटलेज।* आईएसबीएन 9780367344818।
8. *निगम, शालू (2020)।* भारत में महिला और घरेलू हिंसा कानून: न्याय के लिए एक खोज। *लंदन: रूटलेज। पी. 1.* ISBN 978-1-138-36614-5
9. किमुना एट अल (मार्च 2013), भारत में घरेलू हिंसा: 2005-2006 से अंतर्दृष्टि। National Family Health Survey, Journal of Interpersonal Violence, vol. 28, no. 4, pp. 773–807